

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर
आदेश पत्रिका

(दीपा कटारे)
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

प्रकरण क्रमांक : 07/2021

प्रकरण दर्ज दिनांक

आवेदक : प्रताप लाल शर्मा - श्री म/स बालराज बिस्वास

CGRERA-P- Exc.m.PRO.2020-00964

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
23.09.2021	<p>प्रकरण आज वी.सी. के माध्यम से सुनवाई में लिया गया। आवेदक द्वारा श्री आदित्य झा अधिवक्ता। अनावेदक एकपक्षीय।</p> <p>प्रकरण आज आर.आर.सी. जारी किये जाने हेतु नियत है।</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर
आदेश पत्रिका

(दीपा कटारे)
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

प्रकरण क्रमांक : 07/2021

प्रकरण दर्ज दिनांक

आवेदक : फतावा लखके UP M/S (S/O) लखके किलडर

CGRERA-P-Exc.M-PRD-2020-00964

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि माननीय प्राधिकरण द्वारा दिनांक 03.10.2020 को आदेश पारित कर अनावेदक को Rs. 36,62,500- (छत्तीस लाख बैसठ हजार पांच सौ रु. मात्र) दो माह के भीतर, आवेदक को, भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन हेतु यह निष्पादन प्रकरण प्रस्तुत किया गया है नोटिस तामिली पश्चात् अनावेदक अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होते रहे हैं किन्तु दिनांक 31.08.2021 से अनावेदक को उनकी अनुपस्थित में उनके विरुद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अनावेदक ने आवेदक को आदेशित राशि का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया है। ऐसी दशा में आदेशित राशि की वसूली हेतु धारा- 40(1) छ.ग. भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016, एवं अंतर्गत नियम 25 छ. ग. भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम 2017. के तहत आर. आर.सी. जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः Rs. 36,62,500- (छत्तीस लाख बैसठ हजार पांच सौ रु. मात्र) की वसूली हेतु आर.आर.सी. कलेक्टर महोदय को इस टीप के साथ जारी की जावे कि वे वसूल की गई उपरोक्त राशि को प्राधिकरण में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। आर.आर.सी. तामिली हेतु रजिस्ट्रार महोदया को प्रेषित की जावे।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त। प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे।

न्याय निर्णायक अधिकारी
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर